R-2208-I/13

243

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रं. R-2208-I/13

आवेदक – जगदीश प्रसाद पटेल आत्मज स्व.जीवनलाल पटेल निवासी चंद्रभान पिपरिया तहसील–पाटन जिला–जबलपुर

वि रू द्ध

अनावेदकगण – 1– मध्य प्रदेश शासन, द्वारा – तहसीलदार तहसील पाटन, जिला जबलपुर

2– उत्तम कुमार पटेल पुत्र गोविन्द प्रसाद पटेल साकिन चंद्रभान पिपरिया, तहसील–पाटन, जिला–जबलपुर

श्री एम. एम. ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतकार ... 20 MAY 2013 कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं. 1959

241

आवेदक अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के न्यायालयीन पं.क्रं. 132–अ/68–2009–10 में पारित आदेश दिनांक 13–03–2013 से परिवेदित होकर निम्नांकित तथ्य एवं आधारों पर पुनरीक्षण अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है :–

तथ्य

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता उत्तम कुमार आत्मज गोविन्द प्रसाद द्वारा आवेदक के विरूद्व ग्राम पिपरिया पट.ह.नं. 22 की भूमि ख.नं. 57 पर अतिक्रमण करने की शिकायत पर से प्रारंभ हुआ उक्त आवेदन पर पटवारी मौजा की रिपोर्ट ली जाकर विचारण न्यायालय ने ग्राम पिपरिया पट.ह.नं. 22 की भूमि ख.नं. 47 के क्षेत्रफल 0.01 हे.अर्थात 1200 वर्गफुट जमीन पर तार बाड़ी लगाकर एवं खूँटे गाढ़कर अतिक्रमण करना आरोपित करते हुए 500/– रू. (पांच सौ रूपया) अर्थदंड आरोपित करते हुए बेदखली के आदेश दिनांक 25–05–2009 को पारित किए । आवेदक ने उक्त आदेश के विरूद्व अनु.वि.अधिकारी पाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र.क्रं. 50–अ/68–2008–09 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 30–11–2009 से खारिज की गई । इस आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील माननीय न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर के समक्ष पेश की गई जो आदेश दिनांक 13–03–2013 से निरस्त की गई ।

OATH COMMISSIONER Smt. SUMAN SONI JABALPUR

जगदीश प्रसाद पटेल

R. 2208 5/13

28.12.16

कैम्प जयपुर

आवेदक को तीन बार पुकार लगाई, परन्तु कोई उप० नहीं। आज की [illegible] में कोई उप० नहीं।

आवेदक के बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण उपभोक्ता [illegible] में खारिज किया जाता है। [illegible] पक्षकार सूचित हों। अभिलेख [illegible] हो।

[signature] सदस्य

शाक्षेमुग्वा—355—फॉर्म्स—3-[illegible]-10,000 प्रपत्र

[initials]